



महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक : 1707/सम्ब0/2024

दिनांक : 19/10/2024

सेवा में,

प्रबन्धक,

ब्रम्हर्षि श्री रामकृष्ण उर्मिला महिला महाविद्यालय,
रामनगर, खालिसा, मऊ।

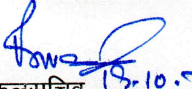
विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1103(1)/सत्तर-9-2014-2(97)/2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र-2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-2014(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-14, सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37(2) के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में ब्रम्हर्षि श्री रामकृष्ण उर्मिला महिला महाविद्यालय, रामनगर, खालिसा, मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत-हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत-गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम का सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2024 से स्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं-

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं उक्त विषयों में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या-5267/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, टी0सी0, दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/सत्तर-2-2005-2(166), 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक-30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि महाविद्यालय द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम-1973 के विधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
7. शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. शासन के पत्र संख्या-2499/सत्तर-4-2022, दिनांक-02 नवम्बर, 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E. का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय


कुलसचिव 19.10.24

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव